उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः– 341/2015–6026/नौ–5–2015–79बजट/2015
लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2015

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में जनपद लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास , जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर रिंग रोड (हसं भक्ति धाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश सख्या–321/2015–5672/नौ–5–2015–79बजट/2015, दिनांक 14.10.2015 के प्रस्तर–1 की नवी लाइन जो निम्न तालिका के कालम–1 में अंकित है, को कालम–2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :–

कालम–1	कालम–2
रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा।	रू0 326.38 लाख (रू0 तीन करोड़ छब्बीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा।

2– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14.10.2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशारकीय सं0–ई–8–2949/दस–2015, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव

संख्या–341/2015–6026/नौ–5–2015–79बजट/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, सूचना एचवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6– नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को उनके पत्रांक 272/2314–0017/15–16 दिनांक 04.11.2015 के सदर्भ में।
8– वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9– मुख्या अभियन्ता (ल0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10– महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
11– वित्त ई–8 अनुभाग/नियोजन अनुभाग–3/4
12– सुपर यूजर,नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
13– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

u.ó. rathore